RAJRAS

राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित

महत्वपूर्ण योजनाएं

© 2020 All Rights Reserved with RAJRAS Ventures LLP

This PDF eBook is only for personal reference. No part of this eBook (PDF) may be reproduced or transmitted by any form or by any means electronic or mechanical including printing, photocopying or recording or by any information storage and retrieval system or used in any manner without written permission from RajRAS Ventures LLP. RajRAS Ventures LLP may take legal action, file for criminal infringement & seek compensation for the loss.

Disclaimer: RajRAS Ventures LLP has obtained the information contained in this work from sources believed to be reliable. Care has been taken to publish information, as accurate as possible. RajRAS Ventures LLP nor its authors guarantee the accuracy or completeness of any information published herein, and neither RajRAS Ventures LLP nor its authors, affiliates, publishers or any other party associated with RajRAS Ventures LLP shall be liable or responsible for any errors, omissions or damages arising out of use of this information. RajRAS Ventures LLP and its authors are just making an attempt to provide information and not attempting to offer any professional services.

All disputes will be subject to Udaipur, Rajasthan Jurisdiction.

INDEX

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1

इन्दिरा रसोई योजना 2

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 3

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 4

अमृत मिशन 6

ह्रदय योजना 7

राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन 8

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 9

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

प्रथम चरण - 2 अक्तूबर, 2014 से 2 अक्तूबर, 2014

द्वितीय चरण - 1 अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक चलेगा

स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक प्रबन्धन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का पहला चरण शुरू किया गया था जो अक्तूबर 2019 तक चला।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से दिसम्बर, 2021 तक ₹61134 करोड़ और राजस्थान सरकार की ओर से ₹314.61 करोड़ जारी किये जा चुके है।

भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से **स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0** का शुभारम्भ किया गया, जिसकी अवधि **2 अक्टूबर 2026** तक होगी तथा राज्य के लिए आवंटित राशि ₹1,765.80 करोड़ है।

इन्दिरा रसोई योजना

शुभारम्भ - 20 अगस्त 2020

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'कोई भूखा ना सोए' के संकल्प को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से 'इन्दिरा रसोई योजना' की शुरुआत की।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब एंव निर्धन लोगों को रियायती दर पर दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना पर **प्रतिवर्ष 100 करोड़** रूपए खर्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में 2 रसोई, नगर परिषद क्षेत्र में 5 रसोई जबकि नगर निगम के क्षेत्र में सबसे अधिक 8 रसोईयों की स्थापना की गई है। इससे पूर्व भी राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही थी।

इन्दिरा रसोई योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु :-

- योजना के अनुसार लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर प्रदान किया जायेगा।
- योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान है।
- भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है। जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता दी गई है।
- **नगरीय निकायों** द्वारा रसोईयों के दिन प्रतिदिन संचालन की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा, स्थानीय जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच निकाय द्वारा समय-समय पर मॉनिटरिंग, योजना स्थल पर रियलटाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था है।
- खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के दृष्टिगत 1 जनवरी 2022 से प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रूपए से बढ़ाकर 17 रूपए की गई है। लाभार्थी से पूर्ववत् 8 रूपये प्रति थाली ही लिया जायेगा। राज्य सरकार इस पर प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार वहन करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

शुरुआत - 17 जून 2015

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य बेघर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 लाख) व अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 से ₹6.00 लाख) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है।

योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 4.00 लाख आवासों के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक "अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) "घटक में 33,548 आवास तथा "व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि" घटक के तहत 71,660 आवास, कुल 1,05,208 आवास केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त 92,325 आवास मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत निजी विकासकर्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास/नगर निकाय/आवासन मण्डल द्वारा ऋण में अनुदान घटक के तहत स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,97,533 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवासों में से 26,688 आवास निर्माणाधीन है तथा 98,781 आवास पूर्ण किये जा चुके है।

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना

शुभारम्भ - 9 सितम्बर 2022
योजना शुभारंभ स्थल - खानिया की बावड़ी (जयपुर)
उद्देश्य - प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु।
प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय - 800 करोड़ रूपए

भारत सरकार की 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' शुरू गई है। योजना का शुभारम्भ 9 सितंबर 2022 को जयपुर स्थित खानिया की बावड़ी से किया गया है। योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। योजना में लगभग 1.5 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। इस योजना की घोषणा राज्य बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़े दिशा-निर्देश

- राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है।
- इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का **जन आधार कार्ड** के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। कार्य हेतु आवेदन ई-मित्र से किया जा सकता है।
- योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु **राज्य/जिला/निकाय स्तर** पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाया जाएगा। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।
- स्वायत्त शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 9,593 कार्य चिन्हित किए हैं।

- कार्यों का भुगतान जन-आधार से लिंक श्रमिकों के बैंक अकाउन्ट में **15 दिवस** में किया जाएगा। साथ ही, कार्यस्थल पर श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही शिकायतों के निवारण एवं सामाजिक अंकेक्षण के लिए भी योजना में प्रावधान किए गये हैं।
- योजना के संचालन हेतु स्थानीय निकाय विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित करते हुए विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रूपए के 6 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है।

शहरी क्षेत्रों में चिन्हित कार्य

- पर्यावरण संरक्षण कार्य
- जल संरक्षण कार्य
- स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य
- सम्पत्ति विरुपण रोकने के कार्य
- कन्वर्जेन्स कार्य
- सेवा कार्य
- हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य
- नगरीय निकायो व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि कार्य
- नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन ।
- बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कार्य

अमृत मिशन

अमृत - अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन

योजना की शुरुआत - जून, 2015

केन्द्र सरकार द्वारा माह जून, 2015 में अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत) योजना आरम्भ की गई। अमृत योजना का फोकस आधारभूत ढांचे के निर्माण पर था, जिसका नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं के प्रावधान से प्रत्यक्ष संबंध है। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए चयनित 500 भारतीय शहरों में जल आपूर्ति सुविधायें, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवॉटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले और हरे-भरे स्थानों का प्रावधान इस योजना में शामिल है।

अमृत योजना के अन्तर्गत राजस्थान के चयनित 29 शहर

अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बून्दी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनू, बारां, किशनगढ़, हिण्डौनसिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है।

योजना से जुड़े बिंदु:-

- जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, नालियां, परिवहन सुविधाएं एवं हरित स्थलों की इस मिशन के अन्तर्गत पहचान की गई हैं।
- भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त के रूप में कुल राशि ₹586.54 करोड़ अमृत योजनान्तर्गत जारी की गई है, जिसमें से ₹553.65 करोड़ राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये है जो कि संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों को स्थानांतरित किये जा चुके है।
- केन्द्र सरकार द्वारा जारी तृतीय किश्त के विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा भी दिसम्बर, 2021 तक समान रूप से ₹351.92 करोड़ जारी किये गये हैं।

हृदय योजना

हृदय - हेरिटेज सिटी डवलपमेंट एंड ऑग्मेंटेशन योजना

शुभारम्भ - 21 जनवरी 2015

हृदय योजना में राजस्थान का चयनित शहर - अजमेर

केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने **राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय)** की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर में **मौजूद ऐतिहासिक इमारतों, विरासत चरित्रों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार** कराना है। हृदय योजना की मिशन अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई।

हृदय योजना में चयनित 12 शहर

अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी वेलंकन्नी, वारंगल को विकास के लिए चिन्हित किया गया है।

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु :-

- इस योजना ने मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया है जिसमें शहरों की विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे का पुनरोद्धार शामिल है।
- इनमें जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, पहुंच मार्ग, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पर्यटक सुविधाएं, बिजली की वायरिंग, भूनिर्माण और ऐसी नागरिक सेवाओं का विकास शामिल है।

राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन

शुरुआत - 24 सितंबर, 2013

सम्बंधित मंत्रालय - आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए)

24 सितंबर, 2013 को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए), भारत सरकार द्वारा मौजूदा **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)** का पुनर्गठन कर उसका नाम **दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (D.A.Y-N.L.U.M)** कर दिया गया है।

इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों कि गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण, और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है।

राजस्थान में यह योजना 196 नगरीय निकायों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान ₹54.04 करोड़ के विरुद्ध, ₹40.53 करोड़ प्राप्त हुए हैं और ₹30.03 करोड़ दिसम्बर, 2021 तक व्यय किए गए हैं।

N.L.U.M. के प्रमुख घटक:-

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)
- सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस.एम. एवं आई.डी.)
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट (ई.एस. टी. एवं पी.)
- स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)
- शहरी पथ वेन्डर के लिए समर्थन (एस.यू.एस.वी.)
- शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना (एस.यू.एच.)
- अभिनव और विशेष परियोजनाएं

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

अगस्त 2021 में राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं में रोजगार, स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु "इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021" लागू की गई। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में यह योजना प्रारंभ की गई थी।

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु:

- योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेण्डर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई-पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार के जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
- इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के **50 हजार रूपए** तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- योजना का लाभ नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- योजना का **क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग** के माध्यम से किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे।
- ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए **जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी** होंगे।